यूजेवीएन लिमिटेड
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
U J V N Limited
(A Govt. of Uttarakhand Enterprise)
मानव संसाधन विभाग, "यमुना भवन", यमुना कालोनी, देहरादून–248001 (उत्तराखण्ड)
Human Resources Department, "Yamuna Bhawan", Yamuna Colony, Dehradun - 248 001(Uttarakhand)
दूरभाष/Phone-0135-2530030/2530061/2530584/2530909/2531975 फैक्स/Fax-0135-2531343/2531646 Website: www.ujvnl.com CIN No. U40101UR2001SGC025866
ISO 9001 : 2008 Certified

LETTER NO: C-231 /UJVNL/05/Director HR/DGM(P)/M-3 DATED 19 /09/2020

कार्यालय ज्ञापन

एतद्द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) के दृष्टिगत लॉकडाउन अवधि में राज्य चिकित्सा परिषद की संस्तुति/अनुशंसा पर लम्बी अवधि तक चलने वाली बीमारियों का उपचार बाहय रोगी के रूप में कराये जाने पर हुए चिकित्सा व्यय एवं बाहय/भर्ती रोगी के रूप में कोरोना वायरस (COVID-19) के परीक्षण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति निम्नांकित शर्तो/प्रतिबन्धों के अनुसार अनुमन्य होगी :–

1. राज्य चिकित्सा परिषद की अनुशंसा पर बाह्य रोगी के रूप में लम्बी अवधि तक अनुमन्य उपचार पर हुए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में :–
   - A जिन कार्मिकों द्वारा दिनांक 20.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक की अवधि में चिकित्सक के पूर्व के परामर्शानुसार दवाइयां क्रय की गई है/क्रय की जायेगी की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।
   - B जिन कार्मिकों द्वारा दिनांक 20.03.2020 से दिनांक 30.09.2020 तक की अवधि में चिकित्सक से ऑन लाइन परामर्श लिया गया है/लिया जायेगा के सापेक्ष ऑन लाइन परामर्श शुल्क के भुगतान की Receipt की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।
   - C जिन कार्मिकों को राज्य चिकित्सा परिषद द्वारा निर्गत पूर्व संस्तुति की वैद्यता कोरोना वायरस संक्रमण काल में समाप्त हो चुकी है अथवा समाप्त हो जायेगी, की वैद्यता निर्धारित अवधि पूर्ण होने के उपरान्त दिनांक 30.09.2020 तक मानी जायेगी, क्योंकि राज्य चिकित्सा परिषद के सदस्य/चिकित्सक विशेषज्ञ राजकीय दून चिकित्सालय में तैनात हैं तथा उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उक्त चिकित्सालय को कोरोना वायरस चिकित्सालय के रूप में संचालित किये जाने के दृष्टिगत बीमारी से सम्बन्धित चिकित्सक विशेषज्ञों के समक्ष स्वास्थ्य जांच हेतु उपस्थित होना असम्भव है।
2. बाह्य/भर्ती रोगी के रूप में कराये गये कोरोना वायरस (COVID-19) के परीक्षण की वास्तविक राशि अथवा अधिकतम राशि रू० 4,500.00 (रू० चार हजार पांच सौ), दानों में से जो भी कम हो, तक सीमित रखते हुए उक्त परीक्षण पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति अनुमन्य होगी।

प्रबन्ध निदेशक

LETTER NO: /UJVNL/05/Director HR/DGM(P)/M-3

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, अध्यक्ष, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
2. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
3. निदेशक (परिचालन)/(परियोजनाएं)/(वित्त)/(मा०संसा०)/यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
4. अधिशासी निदेशक (जानपद)/(वि०/यां०)/(वित्त)/(मा०संसा०)/यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
5. समस्त महाप्रबन्धक, यूजेवीएन लिमिटेड, को इस अनुरोध के साथ कि कृपया अपने अधीनस्थ कार्यालयों को इस आदेश की प्रति अपने स्तर से प्रेषित करने का कष्ट करें।
6. कम्पनी सचिव, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
7. समस्त उप मुख्य लेखाधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
8. वरिष्ठ विधि अधिकारी, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून।
9. वरिष्ठ प्रबन्धक आई० टी०, यूजेवीएन लिमिटेड, देहरादून को निगम की वैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
10. अध्यक्ष/महामंत्री समस्त यूनियन/एसोसिएशन।

16/09/2020
(राजेन्द्र सिंह)
महाप्रबन्धक (का० एंव औ०सं०)

EG-I Pl. upload 25/9

AE for n/a 25-09-2020